बिहार सरकार

कार्यालय, जिला शिक्षा पदाधिकारी, अररिया

राज कुमार (बि. शि. से.)
जिला शिक्षा पदाधिकारी, अररिया

मो0नं0 :– +918544412208,
Email ID.- deoararia.edn@gmail.com

पत्रांक ....420........

सेवा में,

निदेशक (प्राथमिक शिक्षा),
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

अररिया, दिनांक 03/08/21

विषय :– दिनांक 12.07.2021 को हुई काउन्सिलिंग को स्थगित करने के संबंध में।

प्रसंग :– भवदीय पत्रांक 667, दिनांक 13.07.2021

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में अंकित करना है कि अभ्यर्थियों द्वारा दिनांक 12.07.2021 को पंचायत शिक्षक नियोजन की काउन्सिलिंग में हुई अनियमितता करने के विरूद्ध प्राप्त आवेदन के आलोक में दिनांक 27.07.2021 को कार्यालय में पंचायत सचिव को सभी अभिलेखों एवं सी0डी0 के साथ बुलाकर जाँच की गयी, जिसमें निम्नांकित तथ्य प्रकाश में आया :–

क्र	पंचायत शिक्षक नियोजन इकाई का नाम	प्रखण्ड	तथ्य
1	झिरूवा पुरवारी	फारबिसगंज	श्री तौहीद आलम, अभ्यर्थी द्वारा 02 आवेदन सामान्य एवं उर्दू शिक्षक हेतु जमा किया गया था, जिसका प्राप्ति रसीद भी है। अभ्यर्थी का नाम आवेदन पंजी में है, फिर भी मेधा सूची में नाम अंकित नहीं हुआ। इसके लिए अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आपत्ति भी की गयी, लेकिन नाम नहीं जोड़ा गया। पंचायत सचिव द्वारा लिखित रूप में प्रतिवेदित किया गया है कि कम्प्यूटर पर इन्ट्री का कार्य पंचायत कार्यपालक सहायक के द्वारा किया गया। जिस क्रम मे तौहीद आलम का नाम औपबंधिक सूची में अंकित नहीं हो सका। तौहीद आलम का ऑनलाईन से एक आपति प्राप्त हुआ, जिसका निराकरण सामान्य शिक्षक वर्ग के अंतिम मेधा में किया गया। रोस्टर में यू0आर0 या बी0सी0 कोटि सामान्य शिक्षक से वर्ग में आवंटित नहीं रहने के कारण तौहीद आलम का नाम अंतिम मेधा सूची में नहीं था। उर्दू शिक्षक संवर्ग में आपति नियोजन इकाई को प्राप्त नहीं रहने के कारण उसका निराकरण नहीं किया जा सका। पंचायत सचिव के द्वारा प्रस्तुत आवेदन पंजी, आपत्ति पंजी तथा मेधा सूची की जाँच की गयी। जिसमें शिकायतकर्त्ता का नाम अंकित नहीं पाया गया।
2	पिपरा	फारबिसगंज	शिकायतकर्त्ता श्री सज्जाद आलम का आरोप है कि बगैर बुलाये कम मेधा अंक वाले का काउन्सिलिंग किया गया है, जबकि उनका मेधा अंक (71.25) है। अनुमोदित मेधा सूची के क्रमांक–167 पर शिकायतकर्त्ता का नाम है, जबकि जिसकी काउन्सिलिंग की गयी है, उस अभ्यर्थी का नाम मो0 साजिद क्रम संख्या 280 पर दर्ज है तथा मेधा अंक 69.19 है (बी0एड0)। शिकायतकर्त्ता का कथन है कि विडियोग्राफी नहीं करायी गयी है, पंचायत सचिव श्री दिलीप कुमार का कहना है कि विडियोग्राफी नहीं करायी गयी है, केवल मोबाईल से फोटो लिया गया है, जो विभागीय नियम के प्रतिकूल है।
3	कुशमाहा	फारबिसगंज	शिकायतकर्त्ता श्री निर्मल कुमार यादव एवं श्री पवन कुमार केशरी के द्वारा रोस्टर में गड़बड़ी की शिकायत की गयी। जाँच के क्रम में पाया गया कि श्री अखिलेश कुमार का भी नाम अंतिम मेधा सूची में

 "मास्क पहनेगा अररिया, कोरोना को हरायेगा अररिया"

राज कुमार (बि. शि. से.)
जिला शिक्षा पदाधिकारी, अररिया

मो0नं0 :– +918544412208,
Email ID.- deoararia.edn@gmail.com

			नहीं है, जिसका मेधा अंक 59 है, जबकि इसका चयन UR कोटि में किया गया है। जबकि श्री रितु राज पिता–श्री संतोष झा मेधा अंक 72.54 का चयन EWSF में किया गया है तथा श्री अखलेश कुमार पिता–श्री रामनंदन प्रसाद यादव मेधा अंक 59 प्रतिशत है, का चयन UR कोटि में किया गया है। अंतिम मेधा सूची में नाम नहीं रहने के बावजूद भी तथा मेधा अंक कम रहने पर भी UR कोटि में काउन्सिलिंग कर चयन किया गया है एवं उच्च मेधा वाले का यू0आर0 में नहीं किया गया है, जो अवैध है।
4	जयनगर	भरगामा	अभ्यर्थी श्री गोपी कुमार, मेधा क्रमांक–199 का सीधे कार्यालय में एवं श्री लोकेश कुमार, मेधा क्रमांक–141 द्वारा जिला पदाधिकारी, अररिया कार्यालय से जयनगर पंचायत नियोजन इकाई में धांधली संबंधी परिवाद पत्र प्राप्त हुआ है। इस संबंध में पत्रांक 611 दिनांक 24.07.2021 द्वारा सभी पक्षों को बुलाकर दिनांक 27.07.2021 को सुनवाई की गयी। प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी, भरगामा द्वारा पेन ड्राईव में दिनांक 12.07.2021 का काउन्सिलिंग का वीडियो दिया गया। उक्त पेन ड्राईव में छोटी–छोटी अनेको विडियो है, लेकिन उक्त वीडियों में न तो जयनगर पंचायत के अभ्यर्थियों का नाम पुकारा गया न हीं चयनित अभ्यर्थियों के काउन्सिलिंग का ही वीडियो है। इस संबंध में बारंबार प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी, भरगामा से वीडियो मांगने पर टाल–मटोल कर वही वीडियो दिया गया। आज दिनांक 03.08.2021 को पंचायत सचिव एवं प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी को दूरभाष पर बी0आर0पी0 कुन्दन कुमार के माध्यम से कार्यालय में जाँच हेतु बुलाया गया था, लेकिन वे दोनों उपस्थित नहीं हुए। इससे प्रमाणित होता है कि पारदर्शी तरीके से जयनगर पंचायत के शिक्षक नियोजन की काउन्सिलिंग नहीं की गयी। इस कारण पुनः काउन्सिलिंग कराना हीं श्रेयष्कर होगा।

अतः उपरोक्त पंचायत नियोजन इकाईयों का दिनांक 12.07.2021 को की गयी काउन्सिलिंग एवं इसके आधार पर चयन को स्थगित/रद्द करते हुए अगले चरण में काउन्सिलिंग कराने की अनुशंसा की जाती है।

अतः सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ भवदीय सेवा में समर्पित।

विश्वासभाजन

03/8/21

जिला शिक्षा पदाधिकारी,
अररिया
03/08/21

ज्ञापांक 420 /अररिया, दिनांक 03/08/21

प्रतिलिपि :– संबंधित पंचायत सचिव/प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, फारबिसगंज/भरगामा एवं प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी, फारबिसगंज/भरगामा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, अररिया को सूचनार्थ एवं अनुरोध है कि आज ही जिले के NIC के पोर्टल पर अपलोड किया जाय।

03/8/21

जिला शिक्षा पदाधिकारी,
अररिया
03/08/21